संख्या- 35/2026/834 /001-53-1099-099-4-2026

प्रेषक

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 17-09-2026

विषयः- उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति- 2022 के अन्तर्गत मेसर्स एन०आई०एफ० प्रा० लि०, कानपुर देहात के ब्याज उपादान (प्रतिपूर्ति) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-437/दुग्ध-4/दुग्ध नीति-2022/बजट/2026-27, दिनांक 03.09.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत मेसर्स एन०आई०एफ० प्रा० लि०, कानपुर देहात के ब्याज उपादान (प्रतिपूर्ति) सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल-2025 से माह मार्च-2026 तक टर्मलोन पर देय ब्याज के सापेक्ष बैंक द्वारा 05 प्रतिशत की दर से आगणित एवं प्रमाणित धनराशि रु० 38.25 लाख (रूपये अड़तीस लाख पच्चीस हजार मात्र) के अनुमन्य ब्याज उपादान (प्रतिपूर्ति) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 5000.00 लाख में से उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मेसर्स एन०आई०एफ० प्रा० लि०, कानपुर देहात को वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल-2025 से माह मार्च-2026 तक टर्मलोन पर देय ब्याज के सापेक्ष बैंक द्वारा 05 प्रतिशत की दर से आगणित एवं प्रमाणित धनराशि रु० 38.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लाख (रुपये अड़तीस लाख पच्चीस हजार मात्र) के अनुमन्य ब्याज उपादान (प्रतिपूर्ति) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध</u>

(1) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाईडलाइन्स का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(2) अनुदान वितरण से पूर्व अर्हताओं एवं औपचारिकताओं की पूर्ति तथा उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों में अपेक्षित प्रपत्रों/अभिलेखों की पुष्टि दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत संस्थाओं/प्रमोटर्स के ब्याज उपादान के भुगतान हेतु किया जायेगा ।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मद से इतर किसी अन्य मद में किये जाने वाला व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(7) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है ।

(8) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(9) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का उत्तरदायित्व होगा ।

(10) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(12) दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 38,25,000 (रूपये अड़तीस लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 016 लेखा शीर्षक 2404001021100 उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति- 2022 मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

संख्या- 35/2026/834 /001-53-1099-099-4-2026, तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज ।

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

5- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3/ राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0 शासन ।

7- दुग्ध विकास अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामबूझ,

अनुसचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।